

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	सुरेश चन्द्र निगम, राउमावि झालावाड रोड, झालावाड	से०नि० प्रधानाचार्य	10-11-1959	12-10-1989	30 YEAR 11-10-2019	12-10-2019	L-17
2	शंकर लाल सैनी, राउमावि नाहरपुरा-आनन्दपुरी, बांसवाडा	से०नि० प्रधानाचार्य	25-12-1960	02-07-1990	30 YEAR 01-07-2020	02-07-2020	L-17

नोट : -

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 5-7-21

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/एसीपी/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० आनन्दपुरी जिला बांसवाडा को श्री शंकर लाल सैन की मूल सेवापुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- 3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० भवानीमण्डी जिला झालावाड
- 4 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
- 5 संबंधित अधिकारी

6 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर